आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 104/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि॰ (पूर्व नाम ए यू फाईनेन्सियर (इण्डिया) लि॰ पता– 19 ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. अर्जुनलाल यादव पुत्र नानूराम यादव, निवासी 242, ठेरक्या की ढाणी, जैतपुरा, तहसील चौमू, अनतपुरा, जिला जयपुर।
2. श्रीमती सायरी पत्नी अर्जुनलाल यादव, निवासी ठेरक्या की ढाणी, जैतपुरा, तहसील चौमू, अनतपुरा, जिला जयपुर।
   एवं आवासीय भूखण्ड खसरा नम्बर 1520/1, 1536/1 ठेरक्या की ढाणी, ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
3. लालचन्द जांगिड पुत्र नाथूराम जांगिड, निवासी 5, जाहोता मध्य बाग, जाहोता, तहसील आमेर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:–

1. श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांक 05.10.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.09.2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सायरी देवी पत्नी श्री अर्जुनलाल यादव के स्वामित्व की आवासिय सम्पत्ति भू–खण्ड खसरा नम्बर 1520/1, 1536/ ठेरक्या की ढाणी, ग्राम जैतपुरा तहसील चौमू स्थित क्षेत्रफल 1600 वर्गगज को बन्धक रखकर कुल राशि 25,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.10.2019 एवं 11.02.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं उपस्थित आये।

मजिस्ट्रेट
टर) जयपुर

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब व बहस हेतु अवसर चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत धारा 14 के प्रार्थना पत्र का 30 दिवस व अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने के प्रावधान है। इसलिए और अधिक समय नहीं दिया जा सकता।

5. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 25,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 15,76,953/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 25.10.2019 एवं 11.02.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है । अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सायरी देवी पत्नी श्री अर्जुनलाल यादव के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय भू–खण्ड खसरा नम्बर 1520/1, 1536/ ठेरक्या की ढाणी, ग्राम जैतपुरा तहसील चौमू स्थित क्षेत्रफल 1600 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलीस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 05.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/10/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर